न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—228/2016/225 (2016/00228)

1. दयाल पुत्र धूकल,
2. हुक्मा पुत्र धूकल,
3. श्रीमती जीवणी पत्नी धूकल,

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लबेरा, तह0 नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. नाथी पत्नी गोपी (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— कानी पुत्री घासी, जाति गुर्जर,
   1/2— घना पुत्री घासी, जाति गुर्जर,
   1/3— सुरजकरण पुत्र घासी, जाति गुर्जर,
   1/4— सुरजभान पुत्र घासी, जाति गुर्जर,
   1/5— सुरेश पुत्र घासी, जाति गुर्जर,
   1/6— सीमा पुत्री घासी, जाति गुर्जर,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम कुम्हारिया, तह0 भिनाय, जिला अजमेर।
2. फूला पुत्र घासी (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— गिरधारी पुत्र फूला, जति गुर्जर,
   2/2— मेवा पुत्र फूला जाति गुर्जर,
   2/3— सरदारा पुत्र फूला,
   जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लबैरा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
3. जसराज पुत्र पांचू,
4. मदनलाल पुत्र पांचू,
5. मतिया पत्नी पांचू,
6. जगदीश पुत्र पांचू,

   समस्त जाति गुर्जर, निवासी लबैरा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय नसीराबाद ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 23.5.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 8/2015.

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री प्रदीप यादव, वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/6, 2/1 से 2/3
3. रेस्पो0 संख्या 3 से 6 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 7.

निर्णय

दिनांकः— 15.12.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 23.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण/रेस्पो0 के पेश कर

कथन किया कि आवेदनकर्ता की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम लवेरा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके वर्तमान जमाबंदी खसरा नंबर 1025 रकबा 0.23 चाही–2, खसरा नंबर 1026 रकबा 0.02, खसरा नंबर 1027 रकबा 0.21 है0 है । आवेदनकर्ता एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 संयुक्त खातेदार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । आवेदनकर्ता अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि में पूरब से पश्चिम मैन रास्ते पर जाने के लिए पूरब से पश्चिम रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि में आने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी हाल खसरा नंबर 1024 रकबा 0.15 एवं खसरा नंबर 1024/2597 रकबा 0.03 में से अपनी भूमि हाल खसरा नंबर 1025 रकबा 0.23 में होकर आवागमन रास्ते के रूप में करते हुए हाल खसरा नंबर 1027 रकबा 0.21 चाही–2 में जाते है । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1024 व 1024/2597 से दक्षिण से उत्तर रास्ते के रूप में होकर आवागमन करते है तथा उपरोक्त आवागमन रास्ते के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदनकर्ता को हाल खसरा नंबर 1024 व 1024/2597 की भूमि पर आवागमन हेतु 12 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावे । अधी0न्याया0 ने प्रकरण को न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प कोर्ट लवेरा में रखकर निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मात्र इस आधार पर खारिज किया है कि खसरा नंबर 1025 का विभाजन बिना प्रार्थीगण रास्ता प्राप्ति के अधिकारी नहीं है जबकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 6 की खातेदारी भूमि है जिसमें हाल खसरा नंबर 1025 संयुक्त खातेदारी में आवागमन के लिए हाल खसरा नंबर 1024 व 1024/2597 भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि है में से रास्ते के लिए आवेदन पेश किया गया था । अधी0न्याया0 ने महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है। दावाकृत भूमि में प्रार्थी के आवागमन हेतु मौके पर कोई रास्ता नही है तथा जिस भूमि में से रास्ता प्राप्त करना चाहते है वह भूमि संयुक्त खातेदारी की नहीं है । नियमानुसार रास्ता वर्तमान नक्शा ट्रेस में अंकन कर निर्धारित लागत बाजार दर से प्राप्त करने का अधिकारी होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र खारिज करने मे त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए हाल खसरा नंबर 1024 व 1024/2597 की भूमि में आवागमन हेतु 12 फुट चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात अपीलांटस एवं रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की होकर अविभाजित आराजियात है । अविभाजित आराजियात में से रास्ता नहीं दिया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार, नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र

खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया। अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 पेश कर खसरा नंबर 1025, 1026, 1027 आराजियात आवेदनकर्ता/अपीलांटस एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि होने का कथन कर अपीलांटस ने उपरोक्त खातेदारी भूमि में पूरब से पश्चित मैन रास्ते पर जाने के लिए एवं पूरब से पश्चिम रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि में आने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 1024 रकबा 0.15 है0 एवं 1024/2597 रकबा 0.03 है0 में अपनी हाल खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1025 रकबा 0.23 में से होकर आवागमन रास्ते के रूप में करते हुए हाल खसरा नंबर 1027 में जाते है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की है जिस पर तहसीलदार, नसीराबाद ने दिनांक 23.5.2016 को रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया है कि खसरा नंबर 1025, 1026 व 1027 का मौका देखा गया । वादी द्वारा उक्त खसरा नंबरों में से रास्ता चाहा गया है । उक्त खसरा नंबर वादी एवं प्रतिवादीगणों की सहखातेदारी भूमि है । भूमि विभाजन के बाद ही नियमानुसार रास्ता दिया जा सकता है । ग्राम लवेरा की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 137 के खसरा नंबर 1011, 1012, 1025, 1026, 1027 व 1066 के खातेदार जीवणी पत्नि धूला हिस्सा 1/4, मतिया पत्नि पांचू, जगदीश, जसराज, मदनलाल पि0 पांचू हिस्सा 1/4, बिलाल, हुक्मा, दयाल पि0 धूकल हिस्सा 1/2 दर्ज है । उपरोक्त आराजियात पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की होकर अविभाजित आराजियात है । प्रार्थीगण/अपीलांटस ने आराजियात के समस्त खातेदारों को भी प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया है । प्रार्थीगण/अपीलांटस ने बिना विधिक विभाजन तथा समस्त सहखातेदारों को पक्षकार कायम किये बिना खसरा नंबर 1025 में आवागमन हेतु रास्ते का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 निरस्त किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.5.2016 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 15.12.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर